89961/2023

संख्या– ——— /XXXVI-A-1/2023-261/2022

प्रेषक,

नरेन्द्र दत्त
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 10 जनवरी, 2023

विषय : राज्य के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08.09.2022 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–5120/सामान्य पत्रावली/वेतन पर्ची प्रकोष्ठ/2022 दिनांक 14.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर शासन से दिशा–निर्देश मांगा गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 08.09.2022 के क्रम में जिन बिन्दुओं (स्तम्भ–1) पर शासन से दिशा–निर्देश मांगा गया है, उनका स्पष्टीकरण (स्तम्भ–2) निम्नवत है:–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
क्र0 सं0	बिन्दु का विवरण	पृच्छा का प्रत्युत्तर
1	**(विशेषतः लेवल J-4 में)** तालिका के अनुसार निर्धारित वेतन उपलब्ध न होने पाने के कारण लाभार्थी को देयता हेतु निदेशालय द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा निर्धारण प्रपत्र के बिन्दु सं0–13.5 (1) से (4) में किये गये प्राविधानानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्राप्त वेतन को 2.81 से गुणा कर तालिका में उक्त धनराशि न मिलने की स्थिति में उससे ठीक ऊपर के स्तर पर वेतन निर्धारण कर, शासन से मार्गदर्शन की अपेक्षा में अस्थाई वेतन प्राधिकार–पत्र निर्गत किये गये है। ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।	मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 27.07.2022 को पारित आदेश में अंकित **Table-I** के अनुसार ही उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान पुनरीक्षित किये गये है। उक्त टेवल के अनुसार ही शासनादेश दिनांक 08.09.2022 का संलग्नक–1 तैयार किया गया है, जिन न्यायिक अधिकारियों का फिटमेंट संलग्नक–2 में उपलब्ध नहीं है, उनका वेतन निर्धारण संलग्नक–1 की तालिका के अनुसार ही किया जाय।
2	**निलम्बनः–** जो न्यायिक अधिकारी वर्तमान में निलम्बित चल रहे है, उनको वेतनमान से	जो न्यायिक अधिकारी वर्तमान में निलम्बित चल रहे है, उनको पुनरीक्षित वेतनमान से

//2023

	सम्बन्धित वेतन प्राधिकार–पत्र निर्गत होगे अथवा नहीं, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कृपया निर्देशित करने का कष्ट करें कि क्या ऐसे अधिकारियों के वेतन संशोधन की कार्यवाही की जायेगी अथवा नहीं।	सम्बन्धित वेतन प्राधिकार–पत्र उनके वेतनमान के अनुसार निर्गत होंगे तथा उनको वेतन का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–2, भाग–2 से 4 के अध्याय–8 के नियम–53 में (संलग्नक–अ) निलम्बित कार्मिको को निलम्बन की अवधि में जीवन निर्वाहन भत्ता सम्बन्धी प्राविधान एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया जाना होगा।
3	**अर्जित अवकाश नकदीकरणः–** पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप "अर्जित अवकाश नकदीकरण" से सम्बन्धित वेतन प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है। उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को निदेशालय स्तर से दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान प्राधिकार–पत्र निर्गत किये गये है। अतः क्या अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र किये जाने अपेक्षित है अथवा नहीं।	अर्जित अवकाश नकदीकरण, वेतन का ही एक भाग है, जिसका एरियर वेतन की भांति लिया जा सकता है, अतः अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जा सकते हैं।
4	**एल0एल0एम0 भत्ताः–** न्याय विभाग के शासनादेश दिनांक 29.11.2011 के पैरा (2) के अनुसार "छठवीं वेतन की संस्तुति से दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित होने के उपरांत एल0एल0एम0 उपाधि धारक अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन स्वीकृत करने के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि **उच्चतर न्यायिक अधिकारी के वेतनमान पुर्नरीक्षण कर उच्च वेतनमान में पद स्थापित किये जाने की स्थिति में उस अधिकारी को पुर्नरीक्षित वेतनमान/पद स्थापित उच्च वेतनमान में 03 अग्रिम वेतन वृद्धि पूर्व में अनुमन्य अग्रिम वेतन वृद्धि के स्थान पर अनुमन्य होगी।** उक्तानुसार अनुमन्यता से यदि कोई अवशेष देय होता है, तो वह नियमानुसार आगणित करके देय होगा।" का प्राविधान किया गया है। उल्लिखित शासनादेश में यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वेतनमान पुनरीक्षण के उपरान्त 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां अनुमन्य की जायेगी या यदि ऐसा कोई न्यायिक अधिकारी जो कनिष्ठ वेतनमान से पदोन्नति के उपरानत उच्चस्तर वेतनमान में आता है, ऐसे पदोन्न न्यायिक अधिकारी को एल0एल0एम0 डिग्री धारक होने पर उच्चतर वेतनमान पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां अनुमन्य होगी अथवा नही। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त वेतन वृद्धियां दिये जाने सम्बन्धी आदेश किस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को देय भत्तों के सम्बन्ध में अभी पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किये गये है, एवं शासनादेश दिनांक 08.09.2022 के प्रस्तर सं0 –06 में भत्तों के सम्बन्ध में स्पष्ट वर्णन है, ऐसी दशा में एल0 एल0 एम0 डिग्री धारक न्यायिक अधिकारियों को एल0एल0एम0 भत्ता पूर्व निर्धारित दरों पर अनुमन्य रहेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भत्तों के सम्बन्ध निर्णय लिये जाने पर भत्तों के पुनरीक्षण हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

3– कृपया उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

023 4- यह स्पष्टीकरण वित्त विभाग की अशासकीय सं0-I/89302/2022 दिनांक 06.01.2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Narendra Dutt
Date: 10-01-2023 12:23:45
(नरेन्द्र दत्त)
सचिव

संख्या- I I (1) —— /XXXVI-A-1/2023-261/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
5. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
7. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
10. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
12. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
13. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
14. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
15. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हल्द्वानी/हरिद्वार/काशीपुर/देहरादून।
16. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, देहरादून।
17. विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
18. पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
19. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
20. सचिव/निबन्धक, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून।
21. पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, हल्द्वानी/देहरादून।
22. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
24. वित्त अनुभाग-5 एवं वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
25. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

Signed by Rajoo Kumar Srivastava
Date: 10-01-2023 12:51:22
(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

गये अवकाश नियमों के (provisions) सें नियन्त्रित

(Non-Officials) व्यक्ति भी यात्रा-भत्ता तथा वहाँ ठहरने द्वारा बना दिये जाएँ।

प्रतिनिधियों या गैर-सरकारी सभाओं में भाग लेने के लिए में शासन निश्चित कर दे।

नियुक्ति की दरों के वेतन पर काश को व्यतीत (consume) m) प्राप्त करने की अनुमति दे

करते रहने तथा भारतीय वेतन सीमित रहेगा जिनमें सरकारी पर रखा गया हो (placed on

ा अनुदेश

रकारी कर्मचारी भारत में अपने : अपने कार्यभार को सँभालता य भारत से बाहर अवकाश पर गा (occupied) हो।

यदि वह भारत में ही ड्यूटी पर मूल नियम 9 (21) के सन्दर्भ एक अधिकारी पाता, यदि वह द्वारा निश्चित किया जाएगा। कार्य से नहीं भेजे जाते बल्कि जिन पर भारत तथा भारत के में वह वेतन लेना चाहिये जो वे ड्यूटी पर लगे रहते।

के बाहर ड्यूटी पर नियमित रूप अर्द्ध-स्थायी (quasi permanent) न शासन के आदेशों के द्वारा

अध्याय 8

पदच्युति, पृथक्करण तथा निलम्बन

DISMISSAL, REMOVAL AND SUSPENSION

52. जो सरकारी कर्मचारी सेवा से पदच्युत या पृथक् (dismiss or remove) कर दिया जाये उसके वेतन और भत्ते ऐसी पदच्युति या पृथक्करण की तिथि से बन्द हो जाते हैं।

टिप्पणी

पदच्युत या पृथक् होने पर वेतन—नियम 52 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के सेवा से पदच्युत या पृथक् होने पर वेतन और भत्ते बन्द हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वेतन या रुके हुये वेतन का प्रश्न ही नहीं है [*मध्य प्रदेश राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1977 यू० जे० एस० सी० 122]।

53. [1][(1) कोई सरकारी सेवक जो नियुक्ति प्राधिकारी (appointing authority) के आदेश से निलम्बनाधीन (under suspension) हो या निलम्बनाधीन किया गया समझा जाए, निम्नलिखित भुगतान पाने का हकदार होगा, अर्थात् —

(क) जीवन-निर्वाह (subsistence allowance) भत्ता जो ऐसे छुट्टी के वेतन की धनराशि के बराबर होगा जो सरकारी सेवक को प्राप्त होता यदि वह अर्द्ध औसत वेतन (half average pay) या अर्द्ध वेतन पर छुट्टी के वेतन के आधार पर महँगाई भत्ता, यदि अनुमन्य हो :

परन्तु यदि निलम्बन की अवधि तीन माह से अधिक हो जाए तो वह प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया हो या जिसके बारे में यह समझा जाए कि उसने निलम्बन का आदेश दिया है, प्रथम तीन माह की अवधि के पश्चात् की किसी अवधि के लिए जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि में निम्नलिखित परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा—

(i) जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की वृद्धि, जो प्रथम तीन माह की अवधि में अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की जा सकेगी जब उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे और जिनके लिए सरकारी सेवक का सीधे दायित्व (directly attributable) न हो, बढ़ जाए;

(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की कमी, जो प्रथम तीन माह की अवधि में अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की जा सकेगी जब उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें और जिनके लिए सरकारी सेवक का सीधे दायित्व हो, बढ़ जाए;

(iii) महँगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उपखण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ायी हुई या घटायी हुई धनराशि पर आधारित होगी।

(ख) उस वेतन के आधार पर, जो सरकारी सेवक को निलम्बन के दिनांक को मिल रहा हो, समय-समय पर अनुमन्य कोई अन्य प्रतिकर भत्ता :

परन्तु सरकारी सेवक प्रतिकर भत्तों का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाए कि सरकारी सेवक वह व्यय कर रहा है जिसके लिए प्रतिकर भत्ते मंजूर किये गये हों।]

1. शासनादेश संख्या-2-106/दस-534 (80)-69, दिनांक 21 अगस्त, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित

LSI-DPT/OTH/5/2022-XXXVII-A-1-Law Department
1/2022/Law Section 1

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सरकारी सेवक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह किसी अन्य सेवा/योजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय (profession or vocation) में नहीं लगा है :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा से पदच्युत या हटाया गया (dismissed or removed) कोई सरकारी सेवक, जो ऐसी पदच्युति से तथा हटाए जाने के दिनांक से निलम्बित रखा गया या बना रहा समझा जाये और जो किसी अवधि या अवधियों के लिए जिसमें वह निलम्बित रखा गया हो, तदनुसार बना रहा समझा जाये तथा ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने में वह उतनी धनराशि के बराबर जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा जितनी कि यथास्थिति ऐसी अवधि या अवधियों के दौरान उसके अर्जित अवकाश की धनराशि उस जीवन निर्वाह भत्ते और उन अन्य भत्तों की धनराशि से, जो उसे अन्यथा अनुमन्य होते, कम हो, जहाँ उसे अनुमन्य जीवन निर्वाह (subsistence allowance) तथा अन्य भत्ते, उस धनराशि के, जिसे वह अर्जित करे, उसके बराबर या उससे कम हो वहाँ इस परन्तुक का कोई बिन्दु उसपर लागू होकर नहीं समझा जाएगा।

नियम 53 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

1. निलम्बित करने वाला प्राधिकारी निलम्बित किये गये किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी (substitute) की नियुक्ति कर सकता है; प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन की अवधि 6 माह से अधिक न हो। यहाँ 'प्रतिस्थानी' का अर्थ फलस्वरूप हुई रिक्ति में अथवा व्यवस्था-क्रम के अन्त में नियुक्त किये गये "प्रतिस्थानी" से है।

2. शासन के विभाग 6 माह से अधिक समय के लिए निलम्बित किये गए किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत हैं।

3. राजस्व परिषद् प्रत्येक तीसरे माह शासन को सूचना देते हुए 6 माह से अधिक समय के लिए निलम्बित किए गए किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर प्रतिस्थानी (substitute) नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत (authorised) हैं।

4. डिवीजनों के आयुक्त प्रत्येक तीसरे माह राजस्व परिषद् को सूचना देते हुए 6 माह से अधिक समय के लिए निलम्बित किये गये किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर प्रतिस्थानी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत हैं।

टिप्पणी

ऐसी नियुक्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस स्वीकृति के सम्बन्ध में महालेखाकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित (draw) करेगा।

स्पष्टीकरण—"अतिरिक्त व्यय" का तात्पर्य उस सरकारी कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अधिक धनराशि तथा स्थानापन्न व्यक्ति के पद के ऊपर के वेतन से है जो निलम्बित हों।

5. निर्वाह भत्ते की धनराशि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जैसे यदि निलम्बन की अवधि ऐसे कारणों से अत्यधिक बढ़ गई (prologed) हो जिनके लिए सरकारी कर्मचारी स्वयं किसी प्रकार उत्तरदायी न हों, साधारणतया सरकारी कर्मचारी के वेतन के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिये।

[1][54. (1) जब कोई ऐसा सरकारी सेवक, जिसे पदच्युत कर दिया गया (dismissed), हटा दिया गया अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, अपील या पुनर्विलोकन के फलस्वरूप पुनःपदस्थ किया जाए अथवा इस प्रकार पुनःपदस्थ (reinstate) किया गया होता यदि वह निलम्बनाधीन रहते हुए अधिवर्षता (superannuation) पर सेवानिवृत्त (retire) न होता, तो पुनःपदस्थ (reinstate) किये जाने का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी (competent authority) :

(क) सरकारी सेवक की कार्य से अनुपस्थित (absence from duty) रहने की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसके पदच्युत किये जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यतः

1. अधिसूचना संख्या सी०-2-2063/दस-534(18)-71, दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 3-5-1980)